उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-62/2016/2711//92-1-2016-75(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2016

विज्ञप्ति

फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अदयावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल-56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग कर के श्री राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री अरूण कुमार अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-62/2016/2711(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धितमण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धितजिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता,ग्रामीणअभियंत्रणविभाग।
6- सम्बन्धित अधिकारी, श्री अरूण कुमार अग्रवाल, अधिशासी अभियंता,ग्रामीणअभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in